HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous III Bail Application No. 11862/2025

Surendra Pannu S/o Ishwar Singh, R/o Village Thurana, Police Station Narnod, District Hisar, Presently Balaji Colony Barwala, Police Station Barwala, District Hisar, Haryana. (At Present Confined In Central Jail Kota).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Ms. Anushree Sharma for Mr. Pankaj Sharma
For Respondent(s)	:	Ms. Arti Sharma, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

23/02/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना मण्डाना, जिला–कोटा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 113/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 8/25, 8/29 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह तृतीय प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि उसे प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.12.2024 को निरस्त किया गया था, उसके पश्चात् प्रार्थी–अभियुक्त की 14 माह की अभिरक्षा अवधि और बढ़ चुकी है तथा इस प्रकार प्रार्थी–अभियुक्त की कुल अभिरक्षा अवधि लगभग 20 माह हो गई है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त करते समय न्यायालय ने यह प्रेक्षण किया है कि प्रार्थी–अभियुक्त और सहअभियुक्त सुरेन्द्र, दोनों के मध्य दिन में लगभग पांच–सात बार फोन पर वार्तालाप होने के कॉल विवरण मौजूद हैं। उनका तर्क

है कि प्रार्थी–अभियुक्त प्रकरण में उपयोग में लिये गए वाहन का स्वामी है, जिसने अपना वाहन प्रदीप कुमार को दिया था और ऐसी स्थिति में वाहन चालक से दिन में इतनी बार बात करना स्वाभाविक है। उनका यह भी तर्क है कि उक्त अपराध के घटित होने के लिए आवश्यक है कि अभियुक्त को यह जानकारी हो कि उसके वाहन का उपयोग मादक–पदार्थ के परिवहन के लिए किया जा रहा है। उनका तर्क है कि वर्तमान प्रकरण में ऐसी कोई सामग्री पत्रावली पर मौजूद नहीं है, जिससे स्पष्ट होता हो कि प्रार्थी–अभियुक्त को यह जानकारी थी कि उसके वाहन को मादक–पदार्थ के परिवहन हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त होने के उपरांत भी प्रकरण की परिस्थितियों में कोई सारवान परिवर्तन नहीं हुआ है। उनका तर्क है कि मामला मादक–पदार्थ गांजा की वाणिज्यिक मात्रा की अधिकता से संबंधित है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त के पंजीकृत स्वामित्व के ट्रक से 160 किलो गांजा बरामद हुआ है। उनका यह भी तर्क है कि सहअभियुक्त ट्रक चालक और प्रार्थी–अभियुक्त के मध्य के कॉल विवरण संबंधी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद हैं। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व के पांच आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं, जिनके संबंध में पूर्व में प्रार्थना–पत्र की सुनवाई के समय कोई भी सूचना प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से नहीं दी गई है। प्रार्थी–अभियुक्त आदतन अपराधी है। अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराध का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षकारों के तर्क–वितर्क पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त के द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र के निरस्त किए जाने के पश्चात्, प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि 14 माह से और बढ़ चुकी है, के अतिरिक्त प्रकरण की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे प्रार्थी–अभियुक्त जमानत पाने का अधिकारी हो जाए। पूर्व में भी प्रार्थी–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध कोई मुकदमा संस्थित होना नहीं बताया गया था

और आज भी बहस के दौरान यह प्रकट किया गया कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है, लेकिन बाद में प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में स्वीकारा गया कि उन्हें प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध संस्थित पूर्व के आपराधिक प्रकरणों की जानकारी नहीं थी। प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा बार–बार दी गई जमानत की सुविधा का दुरुपयोग कर पुनः अपराध कारित किया है। प्रकरण मादक–पदार्थ गांजा की वाणिज्यिक मात्रा की अधिकता से संबंधित है। केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी–अभियुक्त और सहअभियुक्त प्रदीप के मध्य दिन में पांच–सात बार फोन पर वार्तालाप होती थी और प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त प्रदीप के बैंक खाते में रुपये भी अंतरित किए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी–अभियुक्त की विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 8/25, 8/29 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 का अभियोग है। प्रकरण मादक–पदार्थ गांजे की बरामदगी, जो कि वाणिज्यिक मात्रा से अधिक होने से संबंधित है। अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

NIMIT GOYAL /11